



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222659
CG-DL-E-22102020-222659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]
No. 540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 662(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,--

क्र. सं. 25 के सामने, “जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016 तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)”, शीर्ष के अधीन, नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx) के संबंध में, “ 300 mg/Nm³”, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, स्तंभ 4 में, “450 mg/Nm³”, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

जिगमैत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 48 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -

against S. No. 25, under the heading “TPPs (units) installed after 1st January, 2003, upto 31st December, 2016”, in respect of Oxides of Nitrogen (NOx), for figure and letters “300 mg/Nm³” in column 4, the figure and letters “450 mg/Nm³” shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Joint Secretary

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 48(E), dated the 24th January, 2020.